GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.274
TO BE ANSWERED ON THE 29TH MARCH, 2022

SHORTAGE OF ADMINISTRATIVE STAFF TO HANDLE DISEASE OUTBREAKS

274 SHRI SANJAY SETH:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is shortage of administrative staff when the country is confronting the annual epidemic of Dengue, Chikungunya and COVID-19;

(b) if so, the details of shortage of administrative staffs, State-wise; and

(c) the steps Government is taking to enhance the capacity of experts as well as scientific staff to deal with future pandemic situations?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 274* FOR 29TH MARCH, 2022

There is adequate administrative staff available in the Union Ministry of Health & Family Welfare and the various organizations under the administrative control of this Ministry. These organizations recruit / hire the services of requisite number of personnel as and when so required.

Government of India has taken the following measures to enhance capacity of experts as well as scientific staff to deal with future pandemic situations of Dengue and Chikungunya:

- Provided multiple technical Guidelines on a regular basis for prevention and control, case management & effective community participation to the States for implementation.
- Trainings are imparted for capacity building of scientific staff and experts on implementation of National guidelines for prevention and control of Dengue and Chikungunya and to deal with future pandemic situations.
- Monitoring of disease situation for detection of any impending outbreak at initial stage and to contain further spread by timely implementation of preventive measures.
- Provided Advisories to sensitize the States for preparedness to deal with any future outbreak.
- Free diagnostic facilities through 713 Sentinel Surveillance Hospitals and 17 Apex Referral laboratories identified across the country for detection of cases in early stage to implement public health measures and to prevent further spread.
- Under National Health Mission, necessary and sufficient budgetary support is provided to states/UTs for dengue control activities i.e., dengue case management, epidemic preparedness, vector control activities, monitoring, training support, awareness activities, etc.
- Ministry of Health & Family Welfare continues to provide technical guidance for managing various aspects of COVID-19 including surveillance, containment, testing, travel advisories, clinical management protocols, home isolation for mild/asymptomatic cases etc. Besides this guideline for safe resumption of activities in workplaces, markets, malls, hotels, religious places etc. duly following COVID appropriate behaviour have also been issued and widely disseminated. Other line Ministries have also issued specific guidelines in their respective areas for safe resumption of activities.

- The Ministry provides support to States/UTs to enhance preparedness and response capacities against COVID-19 and other public health emergencies. Funding support has been provided to States/UTs through National Health Mission, State Disaster Response

- Funds (SDRF) and Emergency COVID-19 Response and Preparedness packages.

- PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) with an outlay of Rs. 64,180 crores over 5 years has been sanctioned to upgrade health infrastructure, laboratory capacities, surveillance at points of entry and research to support country in management of the present and future health emergencies. Given the emergence of variants of COVID-19 virus with variable transmissibility and virulence, COVID-19 trajectory in the country is monitored by various expert committees. Ministry of Health continues to keep a close watch over COVID-19 situation across the country and globally. Regular review meetings are undertaken with all relevant stakeholders including subject experts and states to review preparedness and response measures to address COVID-19 pandemic keeping the five-fold strategy of test-tack-treat-vaccinate and COVID appropriate behavior.

*****

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 274
29 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी

***274. श्री संजय सेठः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जब देश डेंगू, चिकनगुनिया और कोविड-19 जैसी वार्षिक महामारियों का सामना कर रहा है, ऐसे समय में देश में प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है;
(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) भविष्य में महामारी की स्थितियों से निपटने के लिए सरकार विशेषज्ञों के साथ-साथ वैज्ञानिक कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या- क्या कदम उठा रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

29 मार्च, 2022 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 274 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभिन्न संगठनों में पर्याप्त प्रशासनिक स्टाफ उपलब्ध है। ये संगठन आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षित संख्या में कार्मिकों की भर्ती/ इनकी सेवाओं को किराए पर लेते हैं।

भारत सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया की भावी महामारीपरक परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों के साथ-साथ वैज्ञानिक स्टाफ की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- रोकथाम और नियंत्रण, मामला प्रबंधन और समुदाय की प्रभावी भागीदारी के लिए नियमित आधार पर राज्यों को कार्यान्वयन के लिए अनेक तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान किए गए।
- डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण तथा भावी महामारीपरक स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर वैज्ञानिक स्टाफ और विशेषज्ञों के क्षमता निर्माण के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिए जाते हैं।
- प्रारंभिक चरण में ही किसी आसन्न प्रकोप का पता लगाने के लिए तथा निवारक उपायों को समय पर कार्यान्वित करके इसे आगे फैलने से रोकने के लिए रोग की स्थिति की निगरानी।
- किसी भी भावी प्रकोप से निपटने के लिए तैयारी करने हेतु राज्यों को सजग रहने के लिए परामर्शिकाएं दी गईं।
- जन-स्वास्थ्य उपायों को लागू करने तथा रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए प्रारंभिक चरण में ही मामलों का पता लगाने के लिए देशभर में चिह्नित किए गए 713 सेंटिनल सर्विलांस अस्पतालों और 17 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं के माध्यम से नि:शुल्क नैदानिक सुविधाएं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को डेंगू नियंत्रण क्रियाकलापों अर्थात डेंगू मामला प्रबंधन, महामारी के लिए तैयारी, वेक्टर नियंत्रण क्रियाकलाप, निगरानी, प्रशिक्षण सहायता, जागरूकता क्रियाकलाप आदि के लिए आवश्यक और पर्याप्त बजटीय सहायता दी जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्विलांस, नियंत्रण (कनटेनमेंट), परीक्षण, यात्रा परामर्शिकाएं, क्लीनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल, हल्के/ लक्षणरहित मामलों के लिए होम आइसोलेशन आदि सहित कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा है। इसके अलावा, कोविड अनुरूप व्यवहार का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए कार्यस्थलों, बाजारों, मॉलों, होटलों, धार्मिक स्थलों आदि पर क्रियाकलापों की सुरक्षित बहाली के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं और इनका व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार किया गया है। अन्य संबद्ध मंत्रालयों ने भी क्रियाकलापों की सुरक्षित बहाली के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मंत्रालय कोविड-19 और जन-स्वास्थ्य की अन्य आपातकालीन स्थितियों के विरुद्ध तैयारी और अनुक्रिया संबंधी क्षमताओं का संवर्द्धन करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता प्रदान करता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य आपदा अनुक्रिया निधियों (एसडीआरएफ) और आपात कोविड-19 अनुक्रिया और तैयारी संबंधी पैकेज के माध्यम से निधियन सहायता प्रदान की गई है।

वर्तमान और भावी स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए देश को सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना, प्रयोगशाला क्षमताओं, प्रवेश बिंदुओं पर सर्विलांस तथा अनुसंधान के उन्नयन के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को मंजूरी दी गई है। संक्रमण के फैलने की विभिन्न दरों और भिन्न-भिन्न अनिष्टकारिता वाले कोविड-19 वायरस के नए उभरते वैरीएंटों को देखते हुए, देश में कोविड-19 ट्रैजेक्टरी की निगरानी विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय देशभर में और विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति पर निरंतर कड़ी नजर रखे हुए है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट-वैक्सीनेट और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पंचमुखी रणनीति को अपनाते हुए तैयारी और अनुक्रिया के उपायों की समीक्षा करने के लिए विषय विशेषज्ञों और राज्यों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

*****

श्री संजय सेठ : सर, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि सरकारी चिकित्सालयों में बहुत सारे डॉक्टर्स प्रशासनिक कार्य देखते हैं, जिससे वे मरीजों को नहीं देख पाते हैं। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह कोई ऐसा कदम उठा रही है, जिससे डॉक्टर्स को प्रशासनिक कार्यों से छुट्टी मिल जाये और वे केवल मरीजों का काम देख सकें?

डा. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय उपसभापति महोदय, जैसा कि यह सवाल, डेंगू, चिकनगुनिया और कोविड से जुड़ा था, लेकिन माननीय सदस्य ने चिन्ता जतायी है कि डॉक्टर्स को और भी प्रशासनिक काम करने पड़ते हैं, लेकिन कभी-कभी ये काम जुड़े हुए भी होते हैं और कुछ updates भी करवाने होते हैं। फिर भी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज भारत सरकार, चाहे यह primary level हो, secondary हो या tertiary हो, सेवाएँ बढ़ाने के लिए उसमें लगातार काम कर रही है, जिसमें अभी जैसा मैंने बताया कि 22 नये AIIMS भी बन रहे हैं, 75 नये मेडिकल कॉलेजेज़ का upgradation भी हो रहा है और नये मेडिकल कॉलेजेज़ भी खुल रहे हैं। उसके बावजूद NHM के माध्यम से हरेक स्टेट को, हरेक जिले को जो राशि दी जाती है, उसके माध्यम से primary level पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है।

श्री संजय सेठ : सर, एक माँग बहुत दिनों से लम्बित है कि जिस प्रकार UPSC के माध्यम से IAS और IPS की सेवाओं में भर्ती की जाती है, उसी तरीके से भारतीय चिकित्सा सेवा को भी बनाने की माँग चल रही है। तो क्या सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठा रही है या इसके ऊपर कोई योजना है?

डा. भारती प्रवीण पवार : महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो चिन्ता जतायी है, यह एक प्रशासनिक विषय है। मैं जरूर आपको उसके बारे में अवगत कराऊँगी।

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there are any specific centres to handle outbreak of disease like Chikungunya, Dengue and Flu. Are there any specific vaccination programmes in the country for these specific diseases? And, Sir, since they are seasonal, are there any preventive programmes for all our cities?

DR. BHARATI PRAVIN PAWAR: Hon. Deputy Chairman, Sir, through you, I would like to submit that disease surveillance is carried out through 713 identified sentinel surveillance hospitals linked with 17 apex referral laboratories with advance diagnostic facilities. Other steps like case management through Eliza-based IGM test kits are provided to every State through NIV. Again, we have vector management, outbreak response, capacity building and there are several other programmes covered by NVBDCP and funds are also allocated to every State.

DR. SANTANU SEN: Sir, while discussing Dengue, Chikungunya and COVID, by now, you all know that these are multi-system diseases. The cause, prevalence and handling modalities of these diseases are not same in all States. So, Sir, through you, my supplementary to the learned Minister is: Why don't we give due importance to cooperative federalism and instead of imposing any Central directive, why cannot we speak to States individually, so far as individual diseases are concerned, and take necessary steps accordingly?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डा. मनसुख मांडविया): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, चिकनगुनिया vector borne disease है और उसके लिए राज्य और केन्द्र के मध्य कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। 'Health' is a State Subject. But, जब ऐसी situation आती है, तो हरेक राज्य में हमारा surveillance system विद्यमान रहता है। आज देश के अलग-अलग राज्यों में surveillance के लिए हमारे पास 34 से ज्यादा लैब्स हैं। कहीं भी ऐसी कोई disease या pandemic की स्थिति होती है, तो वहां surveillance होता है। उस surveillance को करने के लिए एक high-tech lab की आवश्यकता होती है। राज्य अपने यहां से सैम्पल कलेक्ट करते हैं और उसे बाद में उस सेंटर में भेजते हैं। आईसीएमआर उसकी निगरानी भी करता है और यदि कोई ऐसी disease वहां दिखाई देती है, तो उस पर तुरंत कैसे action लिया जाए, यह State Government को recommend भी करता है। अतः सभी राज्य और केन्द्र सरकार साथ मिलकर ही कार्य करते हैं, चाहे वह vector borne disease की स्थिति हो या फिर pandemic की स्थिति हो। माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार का इस प्रकार का effort भी रहा है। आपने देखा होगा कि COVID crises में माननीय प्रधान मंत्री जी से लेकर भारत सरकार के किसी भी मंत्री ने कभी भी किसी State से अलग बात नहीं की, क्योंकि वह सारे देश का issue है और ऐसी स्थिति में सारे देश को jointly effort करना चाहिए और किया भी। कई राज्यों ने अपनी ओर से comments भी किए होंगे, criticism भी किया होगा, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी किसी राज्य के साथ biased behaviour नहीं किया। जहां भी Remdesivir injection या जिस चीज़ का भी crisis था और जब उसके allocation की बात आती थी, तो हम उसे population, disease और case के अनुसार distribute करते थे। जब ऑक्सीजन की सप्लाई disrupt हुई, तो कई लोगों ने हमें disturb किया, यह अलग बात है लेकिन जब treatment और surveillance का सवाल आता है, तो उसमें West Bengal और West Bengal की लैब को भी priority दी जाती है। वहां से भी सैम्पल्स आते हैं और उन सैम्पल्स का समय पर टैस्ट करके, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, उन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं।

श्री जयप्रकाश निषाद : माननीय उपसभापति महोदय, मैं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बीमारियों के पीड़ित गांव के लोग जब एम्स और पीजीआई जाते हैं, तो वहां के डॉक्टर्स उनकी जांच करके उनके इलाज का समय और बढ़ा देते हैं। वे हम लोगों से सिफारिश करवाते हैं कि हमारा समय थोड़ा जल्दी हो जाता। उनको जल्द समय नहीं मिलने के कारण कई लोग उन बीमारियों के कारण दम तोड़ देते हैं। क्या माननीय मंत्री जी

ऐसे मरीजों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि उनका इलाज समय पर हो जाए और वे दम न तोड़ने पायें?

डा. भारती प्रवीण पवार : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा उठाई है कि आज इस बात की जरूरत है कि सही समय पर जांच भी हो और उसका ट्रीटमेंट भी हो लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि उसके जरूरी टैस्ट्स हों और उसकी टैस्ट रिपोर्ट भी जल्द मिले। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आज भारत सरकार द्वारा primary level पर चाहे वह पीएचसी हो, सीएचसी हो या जिला अस्पताल हों, वहां पर लगातार लैब टैस्ट्स की संख्या बढ़ाई गई है। आज प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे health and wellness centeres बढ़ने चाहिए, तो उसके पीछे भी यही मंशा है कि वहीं पर lab test हो तथा वहीं पर treatment की अच्छी सुविधा मिले, ताकि patients को इलाज के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। जैसा सदस्य ने चिंता जताई कि सही समय पर उन्हें ट्रीटमेंट मिले, तो लोगों के treatment के लिए इसके अलावा भी tele medicine consultation के लिए भी बजट दिया गया है।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 275.